न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2019/39 **दायरा दिनांक : 17.06.2019**

उनवान

ज्याना बाई पत्नी रामनारायण, जाति किराड, निवासी पखराना, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... अपीलांटगण

बनाम

1– शकुन्तला पुत्री रामनारायण, जाति किराड, निवासी पखराना, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2– सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया जर्ये प्रबन्धक शाखा ग्राम पनवाड, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

3– उप–पंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय खानपुर, जिला झालावाड़

4– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 30.06.2022**

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 210/प्रा0पत्र/2016 निर्णय दिनांक 04.06.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम पखराना, तहसील खानपुर जिला झालावाड़ में खतौनी संख्या 226 की खसरा नम्बर 53 रकबा 12.06 बीघा, खसरा नम्बर 67/713 रकबा 9.03 बीघा, खसरा नम्बर 229/714 रकबा 4.03 बीघा, खसरा नम्बर 468/715 रकबा 0.15 बीघा, खसरा नम्बर 469/716 रकबा 0.09 बीघा, खसरा नम्बर 556/717 रकबा 3.00 बीघा कुल 6 किता कि 29.16 बीघा आराजी का खातेदार रामनारायण था, रामनारायण की मृत्यु के बाद उक्त आराजी उसके उत्तराधिकारी पत्नी ज्यानाबाई एवं पुत्री शकुन्तला के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गई तब से दोनों 1/2, 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त चली आ रही है । वर्तमान में भी राजस्व रेकार्ड में इसी अनुसार हिस्सा दर्ज है । अपीलांट ज्यानाबाई का 1/2 हिस्सा एच के जी बी शाखा दहीखेड़ा व शकुन्तला का 1/2 हिस्सा सी बी आई शाखा दहीखेड़ा में नाम दर्ज है । अपीलांट का हिस्सा रहन मुक्त हो चुका है जिसका इन्द्राज जमाबंदी पर दर्ज है । परन्तु रेस्पोडेंट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट बाबत अस्थायी–निषेधाज्ञा अपीलांट के विरूद्ध पेश कर कथन किया कि उक्त आराजी पुश्तैनी आराजी है एवं अप्रार्थी कम 1 ज्यानाबाई उक्त आराजी को बिना बंटवारा हस्तान्तरित करना चाहती है । ऐसी स्थिति में जर्ये अस्थायी–निषेधाज्ञा हस्तान्तरण रोकने से पाबन्द करने की सहायता चाही । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेंट कम 1 शकुन्तला का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड से यह पूर्णतया साबित था कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी 29 बीघा 16 बिस्वा अपीलांट ज्याना बाई एवं रेस्पोडेंट कम 1 शकुन्तला के सहखातेदारी में दर्ज है जिसमें 1/2, 1/2 हिस्सा दोनों का निहित है

डॉ0 अनुप्रमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

एवं एक सहखातेदार का बिना बंटवारा करवाये अपने हिस्से की आराजी को बेचाने का पूर्ण कानूनी अधिकार प्राप्त है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई गौर नहीं किया । किसी भी कानून के तहत अपीलांट ज्याना बाई के 1/2 हिस्से को रेस्पोडेंट क्रम 1 पुत्री शकुन्तला बिना आधार के क्लेम करने का अधिकार नहीं रखती, ज्याना बाई 1/2 हिस्से की एलसोल्यूट ऑनर है जिसे किसी भी तहसील आराजी हस्तान्तरित करने का अधिकार है । अपीलांट ने अपने इलाज व खर्चे के लिये अपने हिस्से की कुछ आराजी मोहनलाल पुत्र हरिनारायण नाम के व्यक्ति को दिनांक 18.06.14 को बेचान कर चुकी है परन्तु जानकारी के बावजूद भी प्रकरण में उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है जो अवैधानिक है । कानूनन सहखातेदार के विरूद्ध स्थायी–निषेधाज्ञा एवं अस्थायी–निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती, राजस्व रेकार्ड से अपीलांट सहखातेदार प्रमाणित है ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रार्थना पत्र बाबत् स्थायी–निषेधाज्ञा चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.06.2019 खारिज की जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने भी लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहन अध्ययन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों, सबूतों का भली भांति अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है । जिसमें हम हस्तक्षेप करना

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

उचित नहीं समझते हैं । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.06.2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा